| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाहीमदेहनिशियल्स: कमरंगलाल vs रामसिंह वगै० P.S. | नम्बर व तारीख अहकामजोइसहुक्म की तामीलमेंजारीहुए । |
|---|---|---|
| 24/8/20 | वकील दोनों पक्ष उप० । पुकार हुई पत्रावली वास्ते [illegible] को अंतिम बहस [illegible] पत्रावली दिनांक 31/8/20 को पेश हो। [signature] | |
| 31/8/20 | वकील प्रार्थी का B.H. तथा वकील अप्रार्थीगण उप० अप्रार्थी की ओर से जवाब पेश किया जिसकी नकल दिलाई गई। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 28/9/20 को पेश हो। [signature] | |
| 28/9/20 | Covid-19 ~~कर्मचारी ... के कारण पुकार/पत्रावली वास्ते~~ बहस दिनांक 2/11/20 को पेश हो। [signature] | |
| 2/11/20 | वकील वादी एवं वकील प्रति० दोनों [illegible] उप० पुकार हुई पत्रावली वास्ते बहस दि० 11/11/20 को पेश हो। [signature] | |
| 11/11/20 | वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी वकील का [illegible] उप० बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 3/12/20 को पेश हो। [signature] | |
| 3/12/20 | पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थनापत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है कि [illegible] निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल किया गया। पत्रावली फैसल शुदा होकर नकल [illegible] तथा शामिल दफ्तर हो। [signature] | |

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सपोटरा जिला करौली

पीठासीन अधिकारी– श्री ओमप्रकाश मीना आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी सपोटरा

| मु0नं0 | प्रा0 पत्र | ता0दायरा | ता0निर्णय |
|---|---|---|---|
| 09/19 | अस्थायी निषेधाज्ञा | 27.02.19 | 09.12.2020 |

बजरंगलाल पुत्र नथुआलाल उम्र 75 साल जाति ब्राहम्ण निवासी करई सब तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। —प्रार्थी

बनाम

रामसिह पुत्र शंकर जाति मीना निवासी करई सब तहसील करणपुर तहसील सपोटरा जिला करौली राजस्थान। —अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट**

संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी के तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर कथन किया है कि ग्राम करई तहसील सपोटरा के आराजी खसरा नं0 611/8 व 833/2 किता 2 रकबा 20 बीघा प्रार्थी की खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। जिससे अप्रार्थी का किसी प्रकार का कोई किसी प्रकार का तालोकात नही है। अप्रार्थी जाति से मीना है। हमारा गांव मीना बाहुल्य है। ताकत के बल पर जमीन मे घुस कर जबरन निर्माण करना चाहते है। दिनांक 24.02. 2019 को प्रार्थी की विवादित जमीन खसरा नं0 611/8 रकबा 5 बीघा की डोल तोड़कर उसमे नींव खोदना शुरू कर दिया है। प्रार्थी ने अप्रार्थी से मना किया तो आमादा फिसाद हो गया और धमकी दी कि तेरे खिलाफ धारा 3 का मुकदमा करके तुझे जेल भेज दूंगा और ताकत के बल पर पूरी जमीन पूरी जमीन पर कब्जा करके निर्माण करूंगा। इसलिए प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र प्रार्थी दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी ने जरिये वकील उपस्थित होकर अपना जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र मनगढन्त व झूंठे तथ्यों के आधार पर गलत दर्ज कराई है। अप्रार्थी ने प्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी को किसी प्रकार खुर्द बुर्द नही किया गया है और ना ही प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी पर निर्माण कार्य किया गया है और ना ही अप्रार्थी की कब्जे काश्त की आराजी को हड़प कर कब्जा किया गया है। प्रार्थी ने मन गढन्त तथ्यों के आधार पर अपनी भूमि पर पाटौर पोश निर्माण करने की घटना गलत दावें मे दर्ज कराई गयी है। अप्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से प्रार्थी की खातेदारी आराजी पर बाधा रूकावट नही डाला। अप्रार्थी को तंग परेशान करने की नियत से प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। इसलिए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय सुनी जाकर उस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबंदी सम्वत् 2071–74 ग्राम करई पटवार हल्का टोडा तहसील सपोटरा के अनुसार प्रार्थी बजरंगलाल पुत्र नथुआलाल निवासी करई आराजी खसरा नं0 611/8 का अभिलिखित अभिधारी है। अप्रार्थी का उक्त आराजी से कोई लेना देना नही है। इसलिए अप्रार्थी को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी रामसिह पुत्र शंकर जाति मीना निवासी करई को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा इस आशय के साथ से पाबंद किया जाता है कि वह प्रार्थी की खातेदारी की आराजी खसरा नं0 611/8 रकबा 05 बीघा वाके ग्राम करई तहसील सपोटरा मे प्रार्थी के कब्जे काश्त मे किसी तरह की मदाखलत मजामहत नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावे एवं किसी तरह का निर्माण कार्य नहीं करे ना ही किसी अन्य से करावे। निर्णय आज दिनांक 09.12.2020 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा शामिल दावा रहे।

(ओमप्रकाश मीना आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी
सपोटरा जिला करौली

Scanned with CamScanner